

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / पार्ट-9 / ए-320 / 2018 /


दिनांक

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड / चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	सुरेश कुमार	सीकर	22.04.08	22.04.2017	9300-34800	4800

नोट- दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् यदि कार्मिक के तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / पार्ट-9 / ए-320 / 2018 / 1535

दिनांक 28-11-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन, सीकर।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश / निजी पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर